

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23052020-219504 CG-DL-E-23052020-219504

> असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 179]

No. 179]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 22, 2020/ज्येष्ठ 1, 1942 NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 2020/JYAISHTHA 1, 1942

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2020

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति) (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2020

(2020 का 5)

फा. सं. 5—1/2020—प्र. एवं का—.भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 10 की उप—धारा (1) तथा धारा 36 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (वर्ष 2001 का 2) में और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:—

- 1. (1) इस विनियम को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति) (तेरहवां संबोधन) विनियम, 2020 कहा जाएगा।
 - (2) यह विनियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाषित होने की तिथि से लागू होगा।
- 2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (जिन्हें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा जाएगा) की अनुसूची I में, टिप्पण 6 के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"टिप्पण 6.— (i) प्राधिकरण के संवर्ग में शामिल कोई अधिकारी, जो सलाहकार का पद धारण कर रहा है, प्राधिकरण द्वारा योग्य और उपयुक्त पाए जाने के अध्यधीन, सलाहकार ग्रेड (एल—14) या किसी अन्य समकक्ष ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा पूरी होने पर प्रधान सलाहकार (एल—15) के अगले उच्च श्रेणी में वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र होगा ।

- (ii) प्राधिकरण के संवर्ग में शामिल कोई अधिकारी, जो संयुक्त सलाहकार का पद धारण कर रहा है, प्राधिकरण द्वारा योग्य और उपयुक्त पाए जाने के अध्यधीन, संयुक्त सलाहकार ग्रेड (एल—13) या किसी अन्य समकक्ष ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा पूरी होने पर सलाहकार (एल—14) के अगले उच्च श्रेणी में वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र होगा ।
- (iii) खंडों (i) और (ii) में उल्लिखित वित्तीय उन्नयन के लिए ''8 वर्ष की सेवा'' की गणना के प्रायोजन के लिए, ऐसी सेवा का अर्थ होगा, अधिकारी के मूल संवर्ग में अथवा किसी अन्य संगठन में अथवा प्राधिकरण में प्रासंगिक संवर्ग में कोई सेवा, जिसमें बीच में किसी व्यावधान अथवा अन्य व्यावधान पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ।
- (iv) उप—टिप्पण (i) और (ii) के संदर्भ में दिए गए वित्तीय उन्नयन को उच्च ग्रेड में पदोन्नित के रूप में नहीं माना जाएगा और यह गैर—कार्यात्मक आधार पर होगा।

सुनील कुमार गुप्ता, सचिव,

[विज्ञापन-III / 4 / असा. / 36 / 2020-21]

टिप्पणीः मूल विनियम 5—4/2000 (प्र. एवं वि.) दिनांक 15 फरवरी, 2001 द्वारा प्रकाषित हुआ था तथा इसमें तत्पश्चात निम्नलिखित संशोधन किए गये :—

- (i) 1-6/2002- प्र. एवं वि. दिनांक 22 जनवरी, 2004
- (ii) 5-4/2000- प्र. एवं वि. (खंड I) दिनांक 11 मई, 2004
- (iii) 5-4/2000- प्र. एवं वि. (खंड II) दिनांक 17 जून, 2004
- (iv) 5-4/2000- प्र. एवं का. (खंड II) दिनांक 10 मई, 2005
- (v) 5-4/2000- प्र. एवं का. (खंड II) दिनांक 26 मई, 2006
- (vi) 5-4/2000- प्र. एवं का. (खंड II) दिनांक 09 अक्तूबर, 2006
- (vii) 5-4/2000- प्र. एवं का. दिनांक 31 दिसम्बर, 2008
- (viii) 5-4/2005- प्र. एवं का. दिनांक 20 मार्च, 2009
- (ix) 5-4/2000- प्र. एवं का. दिनांक 23 अप्रैल, 2010
- (x) 5-4/2000- प्र. एवं का. दिनांक 14 जुलाई, 2010
- (xi) 5-1/2014- प्र. एवं का. दिनांक 08 जून, 2016
- (xii) 5-1/2014- प्र. एवं का. दिनांक 27 जुलाई, 2017

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2020

THE TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA (OFFICERS AND STAFF APPOINTMENT) (THIRTEENTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2020

(No. 5 of 2020)

F. No. 5-1/2020-A&P.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 and sub-section (1) of section 36 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation, 2001 (2 of 2001), namely:—

- 1. (1) These regulations may be called the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) (Thirteenth Amendment) Regulations, 2020.
 - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In schedule I of the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulations, 2001 (hereinafter referred to as the principal regulations), for Note 6, the following shall be substituted, namely:—
- "Note 6.—(i) An officer borne on the cadre of the Authority and holding the post of Advisor shall be eligible, subject to being found fit and suitable by the Authority, for financial upgradation to the next higher grade of Principal Advisor (L-15) upon completion of 8 years of service in the Advisor Grade (L-14) or any other equivalent grade.
- (ii) An officer borne on the cadre of the Authority and holding the post of Joint Advisor shall be eligible, subject to being found fit and suitable by the Authority, for financial upgradation to the next higher grade of Advisor (L-14) upon completion of 8 years of service in the grade of Joint Advisor (L-13) or any other equivalent grade.
- (iii) For the purpose of reckoning "8 years of service" for financial upgradation mentioned in clauses (i) and (ii) above, such service would mean any service in the relevant grade in the parent cadre of the officer or in any other organization or in the Authority irrespective of any break or breaks in between.
- (iv) The financial upgradation granted in terms of sub-notes (i) and (ii) shall not be construed as promotion to higher grade and shall be on non-functional basis."

SUNIL KUMAR GUPTA, Secy. [ADVT.-III/4/Exty/36/2020-21]

Note: The principal regulations were published $\it vide No.5-4/2000 (A\&L) dated 15th February 2001 and amended vide$

- (i) 1-6/2002-A&L dated 22nd January, 2004
- (ii) 5-4/2000-A&L (Vol.I) dated 11th May, 2004
- (iii) 5-4/2000-A&L (Vol.II) dated 17th June, 2004
- (iv) 5-4/2000-A&P (Vol.II) dated 10th May, 2005
- (v) 5-4/2000-A&P (Vol.II) dated 26th May, 2006
- (vi) 5-4/2000-A&P (Vol.II) dated 9th October, 2006
- (vii) 5-4/2000-A&P dated 31st December, 2008
- (viii) 5-4/2005-A&P dated 20th March, 2009
- (ix) 5-4/2000-A&P dated 23rd April, 2010
- (x) 5-4/2000-A&P dated 14th July, 2010
- (xi) 5-1/2014—A&P dated 8th June 2016
- (xii) 5-1/2014-A&P dated 27th July 2017